296

हं, जिस बात को ठीक नहीं समझता हं उस को एलाऊ नहीं करता हं जिस को ठीक समझा हूं उस की एलाऊ करता हं।

थी मनीराम बागड़ी : तो इस में नाम लेने के कौन सी वात हो गई? अगर डिसएलाऊ सब का किए हैं तो फिर बुलाने स्रीर नाम लेने का क्या फायदा है ?

म्राध्यक्ष महोदय : यह तो ग्राप करते हैं मैं तो नहीं करना है।

. . . (व्यवधान) . . .

श्राह्यका महोदय : There is no idea there is no fun.

श्रापक्यों करवाते हैं मुझ में ? श्राप यह तरीका मझरे रोज क्यों करवाते हैं ? इपलिए कि अखबार में नाम छप जाय?

. . . (व्यवधान) . . .

श्री मतीराम बागड़ी : ग्राप ने पहले यह बायदा बनाया था कि ऐजर्नमेंट मोणन वालों का नाम दे कर ....

भ्रध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं मैने नहीं

No, I did not make it. Not allowed.

में ऐसा करता है जिस को बताना चाहता उं जिस को मैं उचित समझता हं उसका व्योरा देवा हं जिसकों में उचित नहीं समझका उस की नहीं देता। भेरे पास तो पचास आते हैं मैं किस विस्म के व्योरे द्ंगा ?

... (त्यथान)...

ष्रध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसी यात नहीं चलेगी ।

. . . . (ब्यवधान) . . .

श्रध्यक्ष महोदयं : यह ऐसा है कि तीन दिन पहले तो एक बात कही।

. . . (व्यवधांन) . . .

MR. SPEAKER: No. Not allowcd. Papers to be laid on the Table.

12.09 hrs.

## PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATION EXEMPTING PRINTING OF ADVERTISEMENT OR PROPAGANDA MATERIAL CALENDARS, DIARIES ETC. FROM OPERATON OF PAPER (CONSER-VATION AND REGULATION OF USE) ORDER, 1974

THE DEPUTY MINISTER THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE OF PARLIA-DEPARTMENT MENTARY AFFAIRS MALLIKAR]UN) : On behalf Datt Tiwari, of Shri Narayan I beg to lay on the Table a copy of Notificaion No. S.O. 316 (E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 23rd April, 1981 exempting the printing of advertisement of propaganda material calendar, diaries and invitation or greeting cards from the operation of the provisions of clause 3 of the Paper (Conservation and Regulation of Use) order, 1974, for a period upto and inclusive of 31st March, 1982, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. [Placed in Library Sec. No. LT-2729/81]